



संग्रहीत अधिकारी

संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा) / A3-5/2018

प्रेषक,

डॉ रंजीत कुमार सिंहा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक ३० मई, 2022

कृपया अपने पत्र संख्या: 2142 दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) को बी०ए० पाठ्यक्रम में 100 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	देवभूमि इन्स्टीट्यूट प्रोफेशनल एजुकेशन, खमरिया, लालपुर, (ऊधमसिंहनगर)	ऑफ कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर	बी०ए० 100 सीट	2020-21

1— निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2— विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्ण U.G.C / राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।

3— अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिंहा)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : ८१२ (१)/जी०एस०/शिक्षा/A3-5/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्राचार्य, देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर (ऊ०सि०न०)
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइलहेतु

आज्ञा से,

(स्वाति एस० खमरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।